न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 44/2017/दावा

1. भागुराम पुत्र गीगाराम
2. मीरादेवी पत्नि पुसाराम
3. रामचन्द्र
4. सुभाष } पुत्रगण पुसाराम
5. अशोक
6. मोहनी दवी पत्नि गीगाराम
7. डालीदेवी पत्नि रामूराम
8. जवाहरराम
9. परसाराम } पुत्रगण रामूराम
10. संतोष पुत्री रामुराम
11. श्याना
12. गोरां } पुत्रियां गीगाराम
13. छीपाराम
14. रतनलाल } पुत्रगण सुरजाराम
15. नारायणी
16. चन्द्रीदेवी } पुत्रियां सुरजाराम
17. फुलीदेवी पत्नि सुरजाराम
18. पेपादेवी पुत्री धन्नाराम
19. सिणगारी
20. पन्नी } पुत्रिया धन्नाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चारणवास (खानड़ी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीगण

बनाम

1. नारायणराम
2. भींवाराम } पुत्रगण हणमान
3. तुलछी पुत्री हणमान
4. पुसाराम
5. रामचन्द्र } पुत्रगण नंदाराम
6. ज्ञानादेवी पत्नि नंदाराम
7. सन्तोष
8. सोहनी
9. सरला
10. शारदा } पुत्रियां नंदाराम
11. मन्नाराम
12. हेमाराम } पुत्रगण गीगाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चारणवास (खानड़ी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

13. पंजाब नैशनल बैंक शाखा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

14. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रवन्धक।

15. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादीगण

दावा बावत उदघोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादीगण की ओर से ।
2. श्री सोहन लाल चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 10 की ओर सें।
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही।

दिनांक— 02.02.2021

निर्णय

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमियां पुराने खसरा नम्बर 7 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम खानड़ी पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है। गत भू—प्रवन्धक के दौरान उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 7 लगायत 17 किता 11 कुल रकबा 4.24 है0 राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 6 की वंशावली निम्न प्रकार से है :—

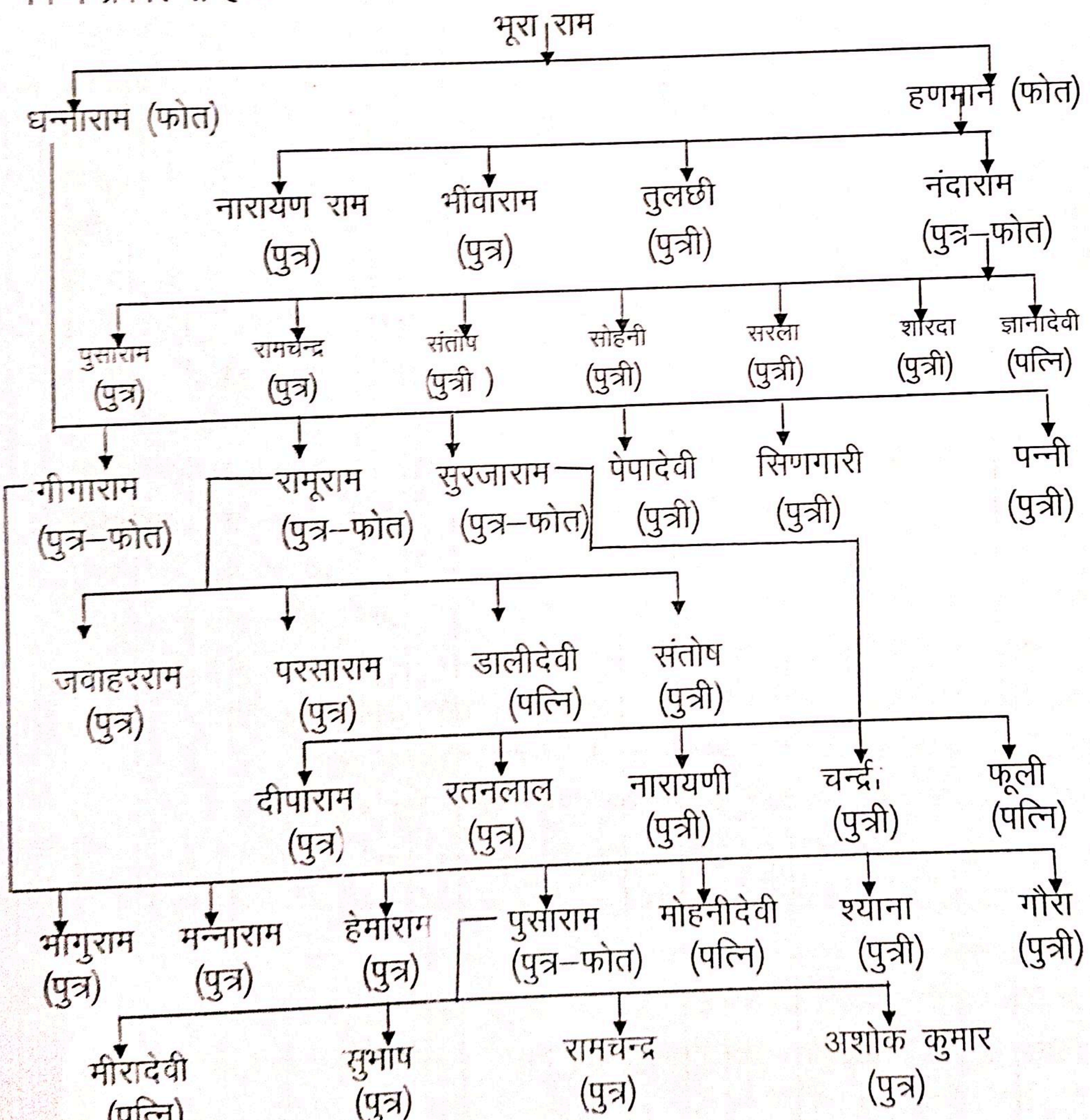

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ (सीकर)

उपरोक्त वर्णित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 12 के पूर्वज धन्नाराम पुत्र भूराराम एवं हणमान पुत्र भूराराम के खाते कब्जे काश्त की रही है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से वल्दियत दर्ज होकर गलत रूप से वल्दियत दर्ज होकर गलत रूप से धन्ना पुत्र हणमान हिस्सा 1/2 दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण के वैध हक अधिकारों पर कुठाराघात होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। उपरोक्त भूमियों में वादीगण ने अपने पूर्वज धन्नाराम पुत्र भूराराम की विरासत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के नाम खुलवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर वे धन्ना पुत्र भूराराम की वल्दियत उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में धन्ना पुत्र भूराराम के स्थान पर गलत वल्दियत धन्ना पुत्र हणमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने की सर्वप्रथम जानकारी वादीगण को हुई तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी गई। उपरोक्त गलत अंकन की आड़ में नाजायत फायदा उठाने हेतु दिनांक 13.04.2017 को कुछ भू–माफिया किश्म के लोग वादग्रस्त भूमियों पर आये और इधर उधर मौका देखकर वादग्रस्त भमियां खरीदने की बातचित करने लगे कि इतने में वादी भी वहां पर आये कि उपरोक्त भूमियों से तुम्हारा क्या लेना देना है। उपरोक्त भूमियों तो हमारी है तब भू–माफिया गिरोह के लोगों ने खुले आम धमकी दे डाली कि उपरोक्त भूमियों का सौदा इन भूमि के अन्य खातेदारों से तय हो गया है हम विक्रय पत्र हमारे नाम करवाकर वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित करवाकर तुम्हें बलात बेदखल कर देंगें। भू–माफिया गिरोह के लोग उपरोक्त भूमियां के अन्य खातेदारों से मिलकर अपने कु–उद्देश्य में सफल हो जायेंगें तो वादीगण के वैध हक अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में कानून में कतई अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में कानून में कतई सम्भव नहीं होगी इसलिए रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर धन्ना पुत्र हणमान के स्थान पर धन्नाराम पुत्र भूराराम व हणमान पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन देह राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश प्रादन किया जाना उचित आवश्यक और न्याय संगत है। वाद कारण दिनांक 13.04.2017 को कुछ भू–माफिया गिरोह के लोगवादग्रस्त भूमियों पर आये और इधर उधर वादग्रस्त भूमियों का मौका देखने लगे तब वादी संख्या एक वहां पर आ गया तो भू–माफिया गिरोह के लोगों ने वादी संख्या एक को खूली धमकी दे डाली कि वादग्रस्त भूमियों हम खरीद कर वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित करवाकर वादग्रस्त भूमियों से वादीगण को बलात बेदखल करने की धमकियां देने एवं वर्तमान में भी ऐसी कुचेष्टाओं में सलंग्न होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा जिनके नये खसरा नम्बर 7 लगायत 17 किता 11 कुल रकबा 4.24 है0 वाके ग्राम खानड़ी पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमियां का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर धन्ना पुत्र हणमान हिस्सा 1/2 के स्थान पर धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/4 हणमान पुत्र भूरा जाति जाट हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के ओदश प्रदान किये जावे तथा धन्ना पुत्र भूरा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

जाति जाट हिस्सा 1/4 हक हिस्से, हिस्से में से वादीनीगण संख्या 18 लगायत 20 को प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24, 1/24 हक, हिस्से तथा 1/4 हक, हिस्से में से वादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 11 व 12 एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा 1/4 हक, हिस्से का वादीगण संख्या 7 लगायत 10 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा वादीगण संख्या 13 लगायत 17 को 1/4 हिस्से में से 1/6 हक, हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से का काविज खातेदार उद्घोपित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि उक्त भूमियों में से वादीगण के हक व हिस्से की भूमियों पर कब्जा करने वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी करने सीव नीव खर्द बुर्द पेड़ पौधे काटने वेचान हस्तान्तकरण करने वादीगण को बलात वेदखल आदि किसी भी रूप में दखलदांजी करने से मय नौकरजन एजेन्टजन प्रतिनिधि जन आदि से बाज रहें।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 10 की ओर से वकील श्री सोहनलाल हाजिर आयें। शेष प्रतिवादीगण बावजुद सुचना अनुपस्थित रहने इसके खिलाफ एक पक्षियकार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 10 की ओर से जरिये वकील ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि ग्राम खानड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि पुराने खसरा नम्बर 7 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा जिनके नये खसरा नम्बर 7 लगायत 17 किता 11 कुल रकबा 4.24 है0 भूमियां का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर धन्ना पुत्र हणमान हिस्सा के स्थान पर धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/4 हणमान पुत्र भूरा जाति जाट हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के ओदश प्रदान किये जावे तथा धन्ना पुत्र भूरा जाति जाट हिस्सा 1/4 हक हिस्से, हिस्से में से वादीगण संख्या 18 लगायत 20 को प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24, 1/24 हक, हिस्से तथा 1/4 हक, हिस्से में से वादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 11 व 12 एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा 1/24 हक, हिस्से का वादीगण संख्या 7 लगायत 10 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा वादीगण संख्या 13 लगायत 17 को 1/4 हिस्से में से 1/6 हक, हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 में से 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्से में से 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 3 के 1/4 में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 को 1/4 में से 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/16 का काबिज खातेदार उद्घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावे। वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में जवावदाता/प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। वादपत्र के सर्मथन में वकील वादीगण ने साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये एवं प्रदर्श 1 लगायत 3 कायम किये गये। वाद पत्र पर वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

हमने वादीगण व प्रतिवादीगण योग्य अभिभाषकगणों की उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं प्रतिवादीगण का जवाब आवेदन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। भू-प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2026 के आधार पर एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा** राजस्व रिकार्ड0 में दर्ज धन्ना पुत्र हणमान हिस्सा 1/2 के स्थान पर धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/4 हणमान पुत्र भूरा जाति जाट हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के ओदश प्रदान किये जाते है तथा धन्ना पुत्र भूरा जाति जाट हिस्सा 1/4 हक हिस्से, हिस्से में से वादीनीगण संख्या 18 लगायत 20 को प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24, 1/24 हक, हिस्से तथा 1/4 हक, हिस्से में से वादीगण संख्या 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा 1/4 हक, हिस्से का वादीगण संख्या 7 लगायत 10 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा वादीगण संख्या 13 लगायत 17 को 1/4 हिस्से में से 1/6 हक, हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 में से 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्से में से 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 3 के 1/4 में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 को 1/4 में से 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/16 काबिज खातेदार उद्घोषित **दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिंनाक-02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक
दांतारामगढ (सीकर)

सहायक कलेक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

आज अदालत सहायक कलक्टर फास्टट्रेक , मुकाम दांतारामगढ

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मागूराम बनाम नारायण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 44 / दावा सन् 2017

निर्णय दिनांक 02.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री शिवपालसिंह** मिनजानिब मुद्दई एवं बहाजरी श्री सोहनलाल मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड0 में दर्ज धन्ना पुत्र हणमान हिस्सा 1/2 के स्थान पर धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 1/4 हणमान पुत्र भूरा जाति जाट हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के ओदश प्रदान किये जाते है तथा धन्ना पुत्र भूरा जाति जाट हिस्सा 1/4 हक हिस्से, हिस्से में से वादीनीगण संख्या 18 लगायत 20 को प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24, 1/24 हक, हिस्से तथा 1/4 हक, हिस्से में से वादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 11 व 12 एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा 1/4 हक, हिस्से का वादीगण संख्या 7 लगायत 10 को 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से तथा वादीगण संख्या 13 लगायत 17 को 1/4 हिस्से में से 1/6 हक, हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/24 हक, हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 में से 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्से में से 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 3 के 1/4 में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 को 1/4 में से 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में से 1/16 काबिज खातेदार उद्घोषित **दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.02.2021 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

दांतारामगढ़ (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह रुबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, लक्ष्मणगढ़
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
दाँतारामगढ़ (सीकर)